



सं.मानू/प्रशासन/मि.120/2024-25/270

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2024

कार्यालय आदेश

**विषय:** मानू - प्रशासन - तत्काल प्रभाव दिनांक: 01.07.2024 से संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में - आदेश जारी।

- संदर्भ:** 1. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.1/5/2024- ई.II (बी)  
2. यूजीसी पत्र सं. एफ-67-3/2021(सीयू)/126272 दिनांक: 25 अक्टूबर 2024  
3. दिनांक: 29.10.2024 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

\*\*\*\*

सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन पा रहे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को, महँगाई भत्ता 50% की मौजूदा दर से 53% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव दिनांक: 01 जुलाई, 2024 से भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त संदर्भ पत्र के अंतर्गत उद्धृत कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित है।

#आदेशानुसार#

कुलसचिव  
29/10/24

वित्त अधिकारी( संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष(डीन)  
सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)/ केन्द्र/ डीडीई  
सभी अनुभाग अध्यक्ष/ प्रभारी (गैर-शैक्षणिक)  
पॉलिटेकनीक, आईटीआई एवं मॉडल स्कूल

प्रति :

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ओएसडी-I/ओएसडी-II/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित फाइल